

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

देवीलाल बनाम युजनीलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 169/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
06/05/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्री देवीलाल - लालुराम</p> <p>पिता श्री लोनी गुजर</p> <p>निवासी- राशीया मंगरी वल्ली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम राशीया मंगरी (पं.ह. दौलतपुरा तह. वल्ली) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 5 वाता सख्या 42 मे अंकित आराजीयत कीता 18 कुल रकबा 3.8120 तथा सवाल सख्या 24 मे अंकित आराजी सं. 210 रकबा 0.0600 है कुल कीता 18+1=19 कुल रकबा 3.8720 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम राशीया मंगरी (पं.ह. दौलतपुरा तह. वल्ली) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 5 वाता सख्या 42 मे अंकित आराजीयत कीता 18 कुल रकबा 3.8120 तथा सवाल सख्या 24 मे अंकित आराजी सख्या 210 रकबा 0.0600 कुल कीता 18+1=19 रकबा 3.8720 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 2000=00 रुपये अक्षर दो हजार रुपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(बीनू देवल) सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>